राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 28 ( )पंरावि/प्रशा.2/ग्रा.से. संघ/ज्ञापन/2011/2916 जयपुर दिनांक 4/10/2013

आदेश

राज्य की ग्राम पंचायतों में पदस्थापित ग्राम सेवक एवं पदेन सचिवों को बहुआयामी कार्य की जरूरतों को देखते हुये विशेष भत्ता की राशि 1000/- रूपये प्रतिमाह दिये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति आदेश संख्या पं. 28( )पंरावि/प्रशा.2/ग्रा.से.संघ/ज्ञापन/2011/2264 दिनांक [illegible] के द्वारा प्रदान की गई थी। राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि ग्राम सेवक एवं पदेन सचिवों को विशेष भत्ते की राशि रूपये 1000/- प्रतिमाह यथावत देय होगी।

राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 35 एवं 50 के प्रावधानों में शिथिलता प्रदान करते हुए ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव को अन्य ग्राम पंचायत का अतिरिक्त कार्य प्रभार दिये जाने पर उस ग्राम पंचायत के अतिरिक्त कार्य के लिए रूपये 1000/- प्रतिमाह अतिरिक्त प्रभार भत्ता एवं 1000/- रू. प्रतिमाह विशेष भत्ता देय होगा। उक्त भत्ते [illegible] अधिकतम समयावधि के लिए देय होगें।

यह स्वीकृति वित्त (नियम) विभाग की आई.डी. क्रमांक 221300865 दिनांक 03.10.2013 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में प्रदान की जाती है। विशेष भत्ता (हार्ड ड्यूटी भत्ता) एवं अतिरिक्त प्रभार भत्ता किसी अन्य प्रयोजन के लिये मान्य नहीं होगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगें।

आज्ञा से

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, ग्रा.वि.पं.रा. विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री महोदय, ग्रा.वि.पं.रा. विभाग, जयपुर।
3. महालेखाकार राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रा.वि. पं.रा. विभाग, विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
7. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय
8. समस्त मुख्य/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद
9. समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति
10. अध्यक्ष, ग्राम सेवक संघ।
11. रक्षित पत्रावली

अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव (प्रशा.2)